

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(49)आयो.1/ सां./ 16

जयपुर, दिनांक:

28 AUG 2017

श्री दिनेश कुमार सैनी,
ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी,
पंचायत समिति तारानगर (चूरु)।

विषय :- नाम के आगे डॉ. की उपाधि लगाने बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 03.02.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके संदर्भित पत्र के संबंध में आपके नाम के आगे डॉक्टर उपाधि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

Sd/-
सहायक शासन सचिव,
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, चूरु को प्रेषित कर लेख है कि डॉ. दिनेश कुमार सैनी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी की पी.एच.डी उपाधि एवं नाम के आगे डॉ. की उपाधि का उपयोग करने की अनुमति संबंधी इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में कर इस विभाग को सूचित करावें।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को अपलोड करने हेतु।
4. डॉ. दिनेश कुमार सैनी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति तारानगर (चूरु)।
5. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव
सहायक शासन सचिव